

दिनांक 05.07.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकारण (सूडा),
उम्प्र० की अध्यक्षता में सूडा/झूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की
मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक—1056/110/तीन/97-VI, दिनांक 25.06.2014 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिन जनपदों से एम०पी०आर० निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे जनपदों के विरुद्ध प्रथम बार चेतावनी निर्गत की जाय इसके उपरान्त भी समय से एम०पी०आर० न आने पर प्रतिकूल प्रविष्टी का प्रस्ताव रखा जाय।
- कम्प्यूटर ज्ञान की समीक्षा – समस्त जनपदों को पूर्व में कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है, के संबंध में निर्देशित किया था कि समस्त परियोजना अधिकारी कम्प्यूटर की जानकारी प्राप्त कर लें एवं इसकी प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में परीक्षा ली जायेगी। समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जनपदों को छोड़कर जनपदों के 60 प्रतिशत से नीचे अंक प्राप्त हुये हैं, जो किसी प्रकार से उचित नहीं हैं। जनपदों को निर्देशित किया गया 60 प्रतिशत से नीचे किसी भी दशा में अंक नहीं आने चाहिए। जनपद जिनके तीन बार से शून्य अंक आयें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना

लाभार्थी अंशदान

1. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी अंशदान की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न जनपदों द्वारा लाभार्थी अंशदान अभी प्राप्त नहीं किया गया है—
जनपद—अलीगढ़, बदायूँ, बलरामपुर, बांदा, बहराइच, एटा, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर एवं मुरादाबाद।
संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 7 से 10 दिन के अन्दर लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त कर लें।
सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि अगर कोई लाभार्थी अंशदान नहीं देता है तो उसे नोटिस भेजा जाय कि यदि वह अपना अंशदान जमा नहीं कराता है तो धनराशि की वसूली हेतु आर०सी० जारी कर दी जायेगी। इस संबंध में संबंधित पटल अलग से नोट प्रस्तुत करे।

2. बी०एस०य०पी० के अन्तर्गत जनपद—मङ्गुरा द्वारा मथुरा के 108 आवासों के चतुर्थ किश्त का प्रस्ताव अभी तक हस्ताक्षर कर्त्तके द्वेषित नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/ छूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत कानपुर नगर में 48 एवं 80 आवासों की परियोजनाओं के अंतर्गत छूडा द्वारा कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० को अवमुक्त कर दी गयी है, किन्तु कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्यदायी संस्था के उपस्थित जी०एम०, तकनीकी श्री ए०के० पुरवार को तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत जिन शहरों में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उनकी सूची उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही संबंधित छूडा/ कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में समस्त जनपदों को अवगत कराया गया कि पूर्व निर्धारित प्रति आवास लागत रु० 2.96 लाख को बढ़ाकर वर्ष 2013 के कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार अब प्रति आवास लागत रु० 3.94 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। अतः तदोनुसार डी०पी०आर० तैयार की जाय। संशोधित प्रति आवास दर का शासनादेश संख्या—1005 / 69—1—14—14(31) / 2012 टीसी, दिनांक 07.05.2014 जो सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।
- बैठक में कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ए०के० पुरवार, महाप्रबन्धक, तकनीकी सी० एण्ड डी०एस० को अवगत कराया गया कि अद्यतन 39 परियोजनाओं में धनराशि अवमुक्त की गयी है। किन्तु अभी तक 18 परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है, महाप्रबन्धक, तकनीकी को निर्देशित किया गया कि तत्काल समस्त परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। महाप्रबन्धक तकनीकी को निर्देशित किया गया कि ऐसी परियोजनायें जिसमें छूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ऐसी परियोजनाओं की सूची तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

कतिपय जनपदों में अभी निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं हुयी है, के संबंध में जनपदों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी/अध्यक्ष की बैठक कराकर शासनादेश के अनुपालन में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायी जाय।

- जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कर्तव्य क्या कि नगर निकाय खतौली एवं मुजफ्फरनगर के अधिशासी अधिकारी भूमि की अनुपलब्धता सूचित कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी, मुजफ्फरनगर एवं खतौली को संपत्ति रजिस्टर गाटावार एवं जमीन की नवैयत क्या है, के पूर्ण विवरण सहित सूडा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करायें अन्यथा विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(संबंधित डूड़ा/कार्यदायी संस्था)

रिक्षा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। यह निर्देश दिये गये कि समस्त परियोजना अधिकारियों द्वारा इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराये जाने का प्रयास किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित बीमा कम्पनी आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड तथा जनपद में स्थित रिक्षा चालक एसोशिएशन के प्रतिनिधियों से गहन सम्पर्क कर अधिक से अधिक दावा प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस हेतु विशेष प्रचार-प्रसार कर पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की जाय। अनुपालन आख्या अपरिहार्य है।

(कार्यवाही—संबंधित डूड़ा)

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्षा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्षा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट-ऑफ-डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या—1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके हैं। यह निर्देशित किया गया कि यथा निर्धारित संशोधित कट-ऑफ-डेट तक नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्षा चालकों का सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य दो माह में पूर्ण कराकर दिनांक 30.08.2014 तक शासन एवं निदेशालय को सूची प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सूची प्रेषण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रेषित अल्पसंख्यक लाभार्थियों हेतु निर्धारित मात्रात्मक प्रतिशत के आरक्षण की स्थिति का अनुपालन किया जाना भी वांछनीय है।

(कार्यवाही—संबंधित डूड़ा)

राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०)

- भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) योजना प्रारम्भ की गयी है। एन०य०एल०एम के विभिन्न उप घटकों के संबंध में समय-समय पर समस्त जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।
- योजना के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनेकों बार निर्देशित किया जा चुका है किन्तु खेद का विषय है कि 8 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- योजना के उप घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development (SM&ID)) के अंतर्गत शहरी आजिविकास केन्द्र (सी०एल०सी०) के स्थापना का प्रावधान है इस संबंध में समस्त जनपदों को समय-समय विस्तृत रूप से निर्देशित कर सी०एल०सी० की स्थापना हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे किन्तु मात्र 09 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अब इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। इस संबंध में समस्त जनपदों को प्रारूप भी प्रेषित किया जा चुका है। जनपदों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
- नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-779/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23.5.2014 जो समस्त जनपदों को सम्बोधित है, के अनुपालन में अभिकरण मुख्यालय द्वारा समस्त जनपदों को पत्र संख्या-647/241/एसजेएसआरवाई-एनय०एल०एम/तीन/2001 दि० 11 जून, 2014 जो समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० एवं समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र० को सम्बोधित है, के द्वारा सिटी मेनेजमेन्ट यूनिट (सी०एम०य००) के संचालन हेतु सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर तथा उनकी सहायता के लिए परियोजना अधिकारी तथा सहायक परियोजना अधिकारी नामित कर नामित अधिकारियों के नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर सहित एक सप्ताह के अन्दर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि अभी तक जनपदों से पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में नामित अधिकारियों का पूर्ण वांछित विवरण हार्ड कापी एवं ईमेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त झूडा)

आई०एल०सी०एस०

- योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में जल प्रवाहित में परिवर्तित कराये गये शौचालयों के सत्यापन में पायी गयी कमियों के संबंध में जनपद गौतमबुद्ध नगर में अभी तक कार्यवाही न होने के संबंध में निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष से स्थिति स्पष्ट कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करायी जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत जिन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनियमितता की गयी है और जांच में दोषी पाये गये हैं, ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं को तत्काल काली सूची में डाला जाय साथ ही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।
- योजना के अंतर्गत जिन जनपदों द्वारा धनराशि वसूल की जानी थी किन्तु अभी तक धनराशि वसूल नहीं की गयी है, के संबंध में निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष को वसूली हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया जाय।
- अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के संबंध में जनपद—आगरा, बांदा, वित्तकूट, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, कौशाम्बी, महोबा, मथुरा, प्रतापगढ़, रामपुर, संतकबीनगर, शाहजहांपुर एवं सिद्धार्थनगर से सूचना प्राप्त न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध करायी जाये। जिन जनपदों द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध करायी जाती है ऐसे जनपदों के संबंध पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही—संबंधित सूडा/डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

- अभिकरण मुख्यालय पर सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील योजित होने में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है। यह स्थिति जनपद स्तर पर जनसूचना अधिकारी के स्तर से आवेदन पत्रों पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही न किये जाने अथवा अत्याधिक विलम्ब से उत्तर दिये जाने या अपूर्ण सूचना के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही है। अतः समस्त जनपदों के जनसूचना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समय से संबंधित को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। माह में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही की सूचना अभिकरण मुख्यालय को भी नियमित रूप से प्रेषित की जाय। नोडल अधिकारी, जनसूचना (सूडा) प्रदेश के समस्त जनपदों की संबंधित सूचना का संकलन सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही—संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। जनपदों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) के विभिन्न घटकों के संबंध में समय—समय पर जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।



- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जैसा कि जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा कि उपलब्ध धनराधि तत्काल सूडा को उपलब्ध करायें किन्तु अभी भी काफी जनपदों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी और न की उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि खेदजनक है। संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में समाप्त हो चुकी है, अतः इसके किसी भी उपघटक में 1 अप्रैल, 2014 से न तो कोई कार्य स्वीकार किये जायेंगे और न ही इस नये कराये गये कार्य हेतु किसी प्रकार भुगतान किया जायेगा।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश भी निर्गत किये जा चुके हैं। निर्देशित किया गया ऐसे जनपद जिसमें इस उपघटक में प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट शून्य है। डूडा द्वारा ऐसी संस्थाओं को इस मद में किसी प्रकार का भुगतान न किया जाय, इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।
- कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के अन्तर्गत अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0 3370/27/तीन/2001 दिनांक 31.1.2014 की अनुपालन आख्या जनपद यथा—बदायूँ बादों, चित्रकूट, एटा, हमीरपुर, कन्नौज, महोबा, पीलीभीत एवं प्रतापगढ़ से सूचना अप्राप्त है। उपरोक्त सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। योजनान्तर्गत टूल-किट के संबंध में अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0 251/27/तीन/2001(स्टेप-अप) दिनांक 02.5.2014 के माध्यम से मांगी गयी सूचना जनपदों यथा—बदायूँ बादों, हमीरपुर, कन्नौज, महोबा, पीलीभीत एवं प्रतापगढ़ से सूचना अप्राप्त है। उपरोक्त सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है ऐसे जनपदों के विरुद्ध चेतावनी पत्र जारी किया जाय यदि फिर भी सूचना नहीं उपलब्ध करायी जाती है तो प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही-संबंधित डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न

कराया गया हो और न ही अनुचान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण-पत्र भी ले लिया जाय। छूड़ा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

(कार्यवाही-संबंधित छूड़ा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

➤ उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा यू०सी०/धनराशि सूडा को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, एक सप्ताह के अन्दर निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित छूड़ा)

स्लम सर्वे तथा एस०सी०एस०पी

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष हैं जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
- एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष हैं, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। अतः संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-संबंधित छूड़ा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2012–13 की जनपद-रामपुर, गोण्डा, हाथरस, सम्बल, शामली एवं मथुरा से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, छूड़ा के हस्ताक्षर प्राप्त न होने के फलस्वरूप बैलेन्स शीट अप्राप्त है। उक्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, छूड़ा के माध्यम से बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
- 36 जनपदों के द्वारा 31 मार्च, 2013 को योजनावार अवशेष एवं वर्ष 2012–13 में योजनावार मुख्यालय द्वारा अवमुक्त धनराशि का अभिकरण मुख्यालय से मिलान नहीं किया गया है।


(कार्यवाही-संबंधित छूड़ा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न जनपदों के ढूड़ा में तैनात कतिपय परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/लेखाकार/लिपिक बिना जनपद के सक्षम स्तर से अनुमति लिये सूडा मुख्यालय/शासन में घूमते रहते हैं। इस संबंध में कार्यालय आदेश-978/कैम्प/नि.सूडा/2014, दिनांक 30.06.2014 द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत कर निर्देशित किया गया है कि ढूड़ा के उक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा अथवा निदेशक, सूडा/अपर निदेशक, सूडा से पूर्व अनुमति लिये सूडा मुख्यालय नहीं आये अन्यथा उक्त दिवस का वेतन कटौती करते हुए उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि विधायी प्रकरणों (लोक सभा / राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद) के प्रश्नों के उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत वांछित सूचनाएं जनपदों से परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के स्तर से हस्ताक्षरित कर प्रेषित कर दी जाती है, यह प्रवृत्ति अनुचित है। पूर्व में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विधायी मामलों में उत्तरालेख प्रत्येक दशा में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा अथवा परियोजना निदेशक, ढूड़ा के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाय। अतः कड़े निर्देश दिये गये उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि ढूड़ा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात् दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि ढूड़ा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय-समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित किया जाये।

- > समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को कियान्वित करायें
- > समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही—समस्त झूड़ा)



(श्रीप्रकाश सिंह) 18/7/2014
निदेशक


राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक—1374/110/तीन/97 Vol-VI

दिनांक—10/7/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद—आगरा/फरोजाबाद/मैनपुरी/मथुरा/एटा/हाथरस/कासगंज/अलीगढ़/फतेहपुर/कौशाम्बी/प्रतापगढ़/आजमगढ़/मऊ/बदायू/बरेली/पीलीभीत/बस्ती/शाहजहांपुर/संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा/बलरामपुर/बहराइच/गोण्डा/श्रावस्ती/रामपुर/कन्नौज/इटावा/मुजफ्फरनगर/सहारनपुर/बुलन्दशहर/कानपुरनगर/मुरादाबाद/उन्नाव।
2. निदेशक, सी एण्ड डी०एस०, जल निगम, उ०प्र०।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०आर०एन०एन०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०के०एन०एन०, लखनऊ।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जनपद—उपरोक्तानुसार।



(श्रीप्रकाश सिंह) 18/7/2014
निदेशक

⑨